न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:– 84/2017

1. बजरंग पुत्र जयराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. रूघवीर पुत्र जयराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी करवाने

निर्णय दिनांक 24/10/17

प्रार्थीगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम केशरी पुरा में खसरा नम्बर 166, 178, 415/166, 417/178 किता 4 कुल रकबा 3.10 है0 एवं खसरा नम्बर 171 रकबा 0.53 है0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का प्रार्थीगण ने दिनांक 2.5.2017 तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश के द्वारा सीमाज्ञान करवाया था। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहता है अर्थात पत्थरगडी करवाना चाहता है। अतः फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 20.5.2017 के अनुसार पत्थरगडी किये जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश से दिनांक 20.5.2017 को करवाया गया था। फर्द सीमाज्ञान संलग्न है। अतः सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर पुख्ता सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवाने की कृपा करें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज फर्द सीमाज्ञान दिनांक 20.5.2017 के अनुसार ग्राम केशरीपुरा के भूमि खसरा नम्बर 166, 178, 415/166, 417/178 किता 4 कुल रकबा 3.10 है0 एवं खसरा नम्बर 171 रकबा 0.53 है0 का सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर पुख्ता सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवाना चाहते है। फर्द सीमाज्ञान के अनुसार उपस्थित खातेदारों ने सीमाज्ञान पर अपनी सहमति जताई हैं। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 20.5.2017 के अनुसार प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमियों की सीमाओं पर पुख्ता सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवाया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम केसरीपुरा के भूमि खसरा नम्बर 166, 178, 415/166, 417/178 किता 4 कुल रकबा 3.10 है0 एवं खसरा नम्बर 171 रकबा 0.53 है0 का नापजोख कर नियमानुसार पत्थरगडी राशि जमा करवाई जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों की सीमाओं पर पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी नियमानुसार पत्थरगडी की कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 25/10/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner